...एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 347 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 509

दायर दिनांक :– 20.12.2024 निर्णय दिनांक :– 23.05.2025

1. गफूर खां पुत्र शेरे खां जाति मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
2. मुमताज पुत्र मोहम्मद जाति सिपाही निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
3. महबूब पुत्र मोहम्मद जाति सिपाही निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
4. रईस पुत्र मोहम्मद जाति सिपाही निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
5. लालदीन पुत्र मोहम्मद जाति सिपाही निवासी जोड तहसील बाप जिला फलोदी
6. सुल्तान पुत्र मोहम्मद जाति सिपाही निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी
7. हुरमत पत्नी मोहम्मद जाति सिपाही निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 203 / 3 रकबा 3.3994 हैक्टेयर एवं प्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 203 / 2 रकबा 2.8004 हैक्टेयर सरहद मौजा हाजीनगर पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि की तरमीम पूर्व में रकबा अनुसार हो रखी थी लेकिन वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना के तहत पटवारी हल्का द्वारा तरमीम की गई उसमें प्रार्थी संख्या 1 की तरमीम जमाबंदी में दर्ज रकबा से अधिका एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 की तरमीम जमाबंदी में दर्ज रकबा से कम कर दी गई तथा खसरा नम्बर 203 रकबा 0.5504 हैक्टेर भूमि की तरमीम जमाबंदी के रकबा से अधिक कर दी गई जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम हाजीनगर पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप के खसरा नम्बर 203 / 3 रकबा 3.3994 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 203 / 2 रकबा 2.8004 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 203 रकबा 0.5504 हैक्टेयर भूमि की तरमीम को निरस्त करवाकर जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब में बताया कि ग्राम हाजीनगर पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप के खसरा नम्बर 203 / 3 रकबा 3.3994

23/5/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 396/203 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397/203 रकबा 2.4281 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 203 रकबा 0.5544 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती की जानी उचित है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम हाजीनगर पटवार हल्का जोड तहसील बाप के खसरा नम्बर 203/3 रकबा 3.3994 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 396/203 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397/203 रकबा 2.4281 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 203 रकबा 0.5544 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का जोड़ एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम हाजीनगर पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप के खसरा नम्बर 203/3 रकबा 3.3994 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 396/203 रकबा 0.3723 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397/203 रकबा 2.4281 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 203 रकबा 0.5544 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का जोड़ एवं भू.अ. निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/5/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)